मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक सी 5-1/96/3/एक

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः—शासकीय सेवकों द्वारा अपने हित में शासकीय दस्तावेजों को दुरुपयोग.

संदर्भः—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का नियम-12 निम्नानुसार है:—

नियम-12 अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना :

कोई भी शासकीय सेवक, शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण में कार्य करने की अवस्था को छोड़कर उसे सौंपे गये कर्तव्यों का सद्भावना से पालन करने की स्थिति को छोड़कर किसी भी शासकीय सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसको कि ऐसी दस्तावेज या जानकारी देने के लिए वह प्राधिकृत न हो, कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग या जानकारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा.

2. राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 25-5-2000 के द्वारा उपर्युक्त नियम-12 में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जोड़ा है:—

स्पष्टीकरण :

"किसी शासकीय सेवक द्वारा (किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष या अन्यथा अपने अभ्यावेदन में) किसी पत्र परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या किसी अन्य शासकीय दस्तावेजों का या उससे या किसी ऐसी फाइल के टिप्पणों में उद्धरण देना, जिस तक पहुंच के लिये यह प्राधिकृत नहीं है, या जिसे वह अपनी वैयक्तिक अभिरक्षा में या वैयक्तिक प्रयोजनों के लिये रखने हेतु प्राधिकृत नहीं है, इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना की कोटि में आएगा."

3. कृपया आचरण नियमों के उपरोक्त प्रावधानों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करावें तथा इसके उल्लंघन का प्रकरण सामने आने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करें.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.